क्रम-संख्या-7

उत्तर प्रदेश शासन
भाषा विभाग

सं० 948/इक्कीस---3 (18)-69
लखनऊ, 1 जून, 1970*

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970) द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, 1908) की धारा 137 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल 2 अक्तूबर, 1970 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जब से 2,000 रु० (दो हजार रुपये) से अनधिक धनराशि की वसूली के लिये सभी मूल वादों में और उनके निष्पादन तथा उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियों में पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप सहित हिन्दी होगी।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव।

क्रम-संख्या 8

10

उत्तर प्रदेश शासन
भाषा विभाग

संख्या 828/इक्कीस---3 (18)-69
लखनऊ, 1 जून, 1970*

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970) द्वारा यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (अधिनियम संख्या 5, 1898) की धारा 367 की उपधारा (1) के के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल 2 अक्तूबर, 1970 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जबसे किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा ऐसे सभी मामलों में, जिनमें एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप सहित हिन्दी होगी।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव।

---

*टिप्पणी---कृपया अधिसूचना संख्या 858/इक्कीस-13 (1)-74, दिनांक 30 मार्च, 1974 भी देखें जो कि 1 अप्रल, 1974 से लागू नयी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत जारी की गयी है।